संख्या–422 /XXIV(1)/2005–15/2004

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादून दिनांक 12 जुलाई2005

विषयः– **प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा मित्र व्यवस्था का विस्तारीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–बेसिक/10955/2005–06 दिनांक 28.6.2005 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–472/मा.स.वि./9–1–89 –2000 दिनांक 27.1.2001 एवं 146/बेसिक/2003 दिनांक 5.7.2003 के अनुक्रम में व शासन के पत्र सख्या– 179/XXIV(3)/2004 दिनांक 17.8.2004 के अनुरूप ही मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा मित्र व्यवस्था के तहत् कार्यरत शिक्षा मित्रों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र 2005–06 तक बढाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

2– कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।